भारत सरकार

रेल मंत्रालय

लोक सभा

05.02.2020 के

अतारांकित प्रश्न सं. 669 का उत्तर

आंध्र प्रदेश में रेल परियोजनाएं

669. श्री कुरुवा गोरांतला माधव:

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान आंध्र प्रदेश में कार्यान्वित और लंबित रेल परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) यदि हां, तो उक्त परियोजनाओं के संबंध में आवंटित और उपयोग की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है;

(ग) विगत पांच वर्षों के दौरान आंध्र प्रदेश में बिछाई गई नई रेल लाइनों अथवा प्रगतिशील संबंधित कार्यों की संख्या कितनी है;

(घ) क्या सरकार ने उक्त परियोजनाओं को पूरा करने के लिए कोई कदम उठाए हैं अथवा इसकी समीक्षा की है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

रेल और वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री (श्री पीयूष गोयल)

(क) से (ङ): एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

****

आंध्र प्रदेश में रेल परियोजनाओं के संबंध में दिनांक 05.02.2020 को लोक सभा में श्री कुरुवा गोरांतला माधव के अतारांकित प्रश्न संख्या 669 के भाग (क) से (ड.) के उत्तर से संबंधित विवरण।

(क) से (ङ): रेल परियोजनाएं क्षेत्रीय रेलवे-वार स्वीकृत की जाती हैं, न की राज्य-वार। बहरहाल, इस समय, आंध्र प्रदेश राज्य में पूर्ण रूप से/आंशिक रूप से पड़ने वाली 4,677 किमी लंबी, 52,686 करोड़ रुपए की लागत वाली 31 परियोजनाएं (17 नई लाइन और 14 दोहरीकरण परियोजनाएं) योजना/अनुमोदन/निष्पादन के विभिन्न चरणों में हैं, जिनमें से, 265 किमी लंबाई को यातायात के लिए खोल दिया गया है और मार्च, 2019 तक 7892 करोड़ रु. का व्यय किया गया है। इनमें शामिल हैं:-

- **25,684 करोड़ रुपए की लागत पर 2027 कि.मी. लंबाई को कवर करने वाली 17 नई लाइन परियोजनाएं हैं। इनमें से, 186 किमी लंबाई को यातायात के लिए खोल दिया गया है और मार्च, 2019 तक 4143 करोड़ का व्यय किया गया है। वर्ष 2019-20 में इन परियोजनाओं के लिए 1105 करोड़ रु. का परिव्यय मुहैया कराया गया है।**
- **27,002 करोड़ रुपए की लागत पर 2,649 कि.मी. लंबाई को कवर करने वाली 14 दोहरीकरण परियोजनाएं हैं। इनमें से, 79 किमी लंबाई को यातायात के लिए खोल दिया गया है और मार्च, 2019 तक 3749 करोड़ रुपए का व्यय किया गया है। वर्ष 2019-20 में इन परियोजनाओं के लिए 1817 करोड़ रु. का परिव्यय मुहैया कराया गया है।**

परियोजनाओं का परियोजना-वार विवरण जिसमें लागत, व्यय तथा परिव्यय शामिल है, को भारतीय रेल की वेबसाइट अर्थात् www.indianrailways.gov.in>Ministry of Railways>Railway Board>About Indian Railways>Railway Board Directorates>Finance (Budget)>Railway-wise Works Machinery & Rolling Stock Programme>Regular Budget (year) पर सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराया जाता है।

- **बजट आबंटन:**

- **आंध्र प्रदेश राज्य में पूर्ण रूप से/ आंशिक रूप से पड़ने वाली अवसंरचनात्मक परियोजनाओं और संरक्षा कार्यों के लिए औसत बजट आबंटन को 2009-14 के दौरान 886 करोड़ रु. प्रतिवर्ष से बढ़ाकर वर्ष 2014-19 के दौरान 2830 करोड़ रुपए प्रतिवर्ष किया गया है, जो 2009-14 के दौरान औसत वार्षिक बजट परिव्यय का 319% है।**
- **वर्ष 2019-20 के लिए आंध्र प्रदेश राज्य में पूर्ण रूप से/ आंशिक रूप से पड़ने वाली अवसंरचनात्मक परियोजनाओं और संरक्षा कार्यों के लिए कुल बजट आबंटन 3885 करोड़ रुपए है, जो 2009-14 के औसत वार्षिक बजट परिव्यय का 438% है।**

- **यातायात के लिए खोली गई नई लाइन, आमान परिवर्तन और दोहरीकरण परियोजनाएं:**

- **2009-14 के दौरान, आंध्र प्रदेश राज्य में पूर्ण रूप से/ आंशिक रूप से पड़ने वाली 363 किमी लंबाई (81 किमी नई लाइन, 144 किमी आमान परिवर्तन और 138 किमी दोहरीकरण) वाली परियोजनाओं को 72.6 किमी प्रतिवर्ष की औसत दर पर यातायात के लिए खोल दिया गया है।**
- **2014-19 के दौरान, आंध्र प्रदेश राज्य में पूर्ण रूप से/ आंशिक रूप से पड़ने वाली 377 किमी लंबाई (258 किमी नई लाइन, 119 किमी दोहरीकरण) वाली परियोजनाओं को 75.4 किमी प्रतिवर्ष की औसत दर पर यातायात के लिए खोल दिया गया है जो 2009-14 के दौरान यातायात के लिए खोले गए किमी का 104 प्रतिशत है।**

इनमें से अधिकांश परियोजनाएं भूमि अधिग्रहण, वन संबंधी स्वीकृति, वन्य जीव संबंधी स्वीकृति, उपयोगिताओं का स्थानांतरण और लागत भागीदारी परियोजनाओं में राज्य सरकार का हिस्सा जमा न कराने के कारण लंबित हो रही हैं। रेल मंत्रालय ने आंध्र प्रदेश सरकार से अवरोधों को दूर करने के लिए उचित कार्रवाई करने और लागत भागीदारी परियोजनाओं में अपना अंशदान जमा कराने का

अनुरोध किया है ताकि रेल परियोजनाओं के निष्पादन की गति में तेजी लाई जा सके। आंध्र प्रदेश सरकार पर 1280 करोड़ रु. का बकाया है।

किसी भी परियोजना का समय पर पूरा होना राज्य सरकार द्वारा शीघ्र भूमि अधिग्रहण, वन विभाग के प्राधिकारियों द्वारा वन संबंधी मंजूरी, बाधक जनोपयोगी सेवाओं (भूमिगत और भूमि के ऊपर दोनों) का स्थानांतरण, विभिन्न प्राधिकरणों से सांविधिक स्वीकृतियां, क्षेत्र की भौगोलिक और स्थलाकृतिक परिस्थितियों, परियोजना स्थल के क्षेत्र में कानून एवं व्यवस्था की स्थिति, जलवायु परिस्थितियों के कारण परियोजना विशेष के स्थल के लिए किसी वर्ष में कार्य के महीनों की संख्या, परियोजना को शीघ्र पूरा करने के लिए राज्य सरकार का सहयोग और तत्परता, भूकंप, बाढ़, अत्यधिक वर्षा, श्रमिकों की हड़ताल जैसी अप्रत्याशित परिस्थितियों का सामना करना, माननीय न्यायालयों के आदेशों, कार्यरत एजेंसियों/ठेकेदारों की स्थिति और शर्तों आदि जैसे विभिन्न कारकों पर निर्भर करता है और ये सभी कारक परियोजना-दर-परियोजना और साइट-दर-साइट भिन्न-भिन्न होते हैं और परियोजना के समापन समय और लागत को प्रभावित करते हैं।

यह सुनिश्चित करने के लिए कि लागत में वृद्धि के बिना परियोजना को समय पर पूरा किया जाए, रेलवे में विभिन्न स्तरों (फील्ड स्तर, मंडल स्तर, क्षेत्रीय स्तर और बोर्ड स्तर) पर काफी निगरानी की जाती है और परियोजनाओं की प्रगति में बाधा डालने वाले लंबित मुद्दों को हल करने के लिए राज्य सरकार और संबंधित प्राधिकरणों के अधिकारियों के साथ नियमित बैठकें की जाती हैं। इसके अलावा, यह सुनिश्चित करने के लिए कि परियोजनाओं को समय से पहले ही पूरा किया जाए रेलवे ने अनुबंधों में बोनस खंड के रूप में ठेकेदार को प्रोत्साहन देने के सिद्धांत को अपनाया है जिससे परियोजनाओं के निष्पादन की गति में और अधिक वृद्धि होगी।

महत्वपूर्ण परियोजनाओं, क्षमता संवर्धन परियोजनाओं, अंतिम स्थान संपर्कता आदि के लिए संस्थागत वित्तपोषण किया गया है, जिससे क्षमता संवर्धन परियोजनाओं के लिए प्रतिबद्ध निधि के प्रावधान के लिए रेलवे की क्षमता में वृद्धि हुई है।

******